

कार्यालय आयुक्त उच्चशिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्रमांक 479/211/आउशि/शाखा-5/2014 । राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की याचिका क्रमांक 4144/2014 में दिनांक 8 जुलाई 2014 को पारित आदेश में दिये गये निर्देश के अनुसार संबंधित याचिकाकर्ताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत अभ्यावेदनों को प्रवेश समिति ने विस्तृत विचार विमर्श कर अपना अभिमत प्रस्तुत किया। प्रवेश समिति ने विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित तथा राज्य शासन द्वारा घोषित अकादमिक कैलेण्डर को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार पुनः पंजीयन एवं सत्यापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

2/ राज्य शासन ने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया है कि सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययन दिवसों की सीमाओं तथा अकादमिक कैलेण्डर को ध्यान में रखते हुए इच्छुक विद्यार्थियों के पंजीयन तथा सत्यापन हेतु निम्न तिथियों पर पोर्टल की सुविधा पुनः उपलब्ध करायी जाए ताकि शेष रह गये विद्यार्थी भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्य विवरण	तिथियां	
ऑन लाइन पंजीयन	स्नातक	15 एवं 16 जुलाई 2014
	स्नातकोत्तर	17 एवं 18 जुलाई 2014
दस्तावेजों का सत्यापन	स्नातक	15 से 17 जुलाई 2014
	स्नातकोत्तर	17 से 19 जुलाई 2014
पंजीयन शुल्क का भुगतान (नोट-नवीन पंजीकृत एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक जिन्होंने पंजीयन राशि का भुगतान नहीं किया है )	स्नातक	18 जुलाई 2014 तक
	स्नातकोत्तर	21 जुलाई 2014 तक
उपरोक्तानुसार पंजीकृत एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान करने वाले आवेदक निर्धारित सी0एल0सी0 चरण (कालेज लेवल कौंसिलिंग) में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में स्नातक हेतु 17 एवं 18 जुलाई 2014 तथा स्नातकोत्तर हेतु 19 एवं 21 जुलाई 2014 को उपस्थित होंगे। सीएलसी चरण में प्रवेश हेतु आवेदक को सत्यापन केन्द्र (शासकीय महाविद्यालय) से अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।		

नोट- ऐसे पूर्व पंजीकृत आवेदक जिन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है, वे भी स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु निर्धारित तिथियों में सत्यापन कराकर सीएलसी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

(डॉ० व्ही०एस० निरंजन)  
वि०क०अ०सह आयुक्त  
उच्चशिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांक 480/211/आउशि/शाखा-5/2014 भोपाल  
प्रतिलिपि :

दिनांक 11 जुलाई 2014

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन उच्चशिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष सहायक मान० मंत्री जी उच्चशिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
3. कुलसचिव समस्त संबंधित विश्वविद्यालय म०प्र०
4. श्री विनायक राव एन०आइ०सी० भोपाल
5. समस्त क्षेत्र०अ०संचालक उच्चशिक्षा म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्राचार्य, शास० / अशास० महा० उच्च शिक्षा म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

वि०क०अ०सह आयुक्त  
उच्चशिक्षा मध्यप्रदेश